न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 32/2020

श्रीमती मानकँवर पत्नी स्व. श्री दातार सिंह, जाति राजपूत, निवासी चामुण्डा कॉलोनी, फॉयसागर रोड, अजमेर जिला अजमेर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री गोपाल पुत्र श्री राधाकृष्ण
2. श्री श्योजी पुत्र श्री राधाकृष्ण
3. श्री रोडू पुत्र श्री राधाकृष्ण
   समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम झाडोल, तहसील अंराई, जिला अजमेर।
4. ग्राम पंचायत मण्डावरिया जरिये सरपंच (पं स अंराई)
5. ग्राम पंचायत मण्डावरिया जरिये सचिव (पं स अंराई)
6. विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मण्डावरिया पंचायत समिति अंराई

.....गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डावरिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 76 दिनांक 06.10.2010 (06.12.2010)

———

उपस्थित :–

1– श्री इरशाद मोहम्मद, वकील निगरानीकर्ता की ओर से

2– श्री लेखू मंघानी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

3.– श्री राजीव सक्सेना, वकील अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक – 15.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह निगरानी, ग्राम पंचायत मण्डावरिया पंचायत समिति अंराई द्वारा जारी श्री गोपाल, श्री श्योजी, श्री रोडू समस्त पुत्रगण श्री राधाकृष्ण, जाति जाट निवासी ग्राम झाडोल तहसील अंराई जिला अजमेर के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा संख्या 76 दिनांक 06.10.2010 को विधि विरूद्ध होना बताते हुए उक्त आक्षेपित पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये जाकर ग्राम पंचायत मण्डावरिया से आक्षेपित पट्टे का रिकॉर्ड मंगवाया गया एवं तहसीलदार अंराई से आक्षेपित पट्टा से सम्बन्धित भूखण्ड की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तपश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

बहस प्रारंभ होने पर वकील निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने हेतु अवगत कराया कि सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरिया पंचायत समिति अंराई ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 श्री गोपाल, श्री श्योजी, श्री रोडू के पक्ष में ग्राम झाडोल की आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा संख्या 76 दिनांक 06.12.2010 (ग्राम झाडोल की आबादी भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 3.8428है0 में स्थित) जारी किया जो कि विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया कि निगरानीकर्ता के पति स्व. श्री दातार सिंह का मालिकाना हक व कब्जाशुदा आवासीय मकान ग्राम झाडोल तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित है। श्री दातारसिंह अपने जीवनकालल में उक्त मकान में ही निवास करते रहे तथा इसी मकान से अपनी दोनो पुत्रियों का विवाह भी किया था। अप्रार्थी सं 1 श्री गोपाल, स्व. श्री कृषि भूमि को बांटे सांटे पर काश्त करता था तथा सामान रखने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त मकान में से एक कमरा किराये पर दिया था। स्व. श्री दातार सिंह का स्वास्थ्य अत्याधिक खराब होने के कारण निगरानीकर्ता समुचित इलाज कराने के लिए अपनी पुत्री के पास अजमेर रहने चली गयी तथा देखरेख व सार संभाल के लिए अपना मकान अप्रार्थी संख्या 1 को संभलवा कर गयी थी एवं मकान संभलवाने से पूर्व अपना सामान एक कमरे में रखकर ताला लगा दिया था। निगरानीकर्ता के पति के देहान्त के पश्चात निगरानीकर्ता, अपनी पुत्री के पास अजमेर में ही रहने लगी। अप्रार्थी संख्या 1, समय–समय पर निगरानीकर्ता से मिलने अजमेर आता रहता था व निगरानीकर्ता मकान की मरम्मत व रंगरोगन के लिए धनराशि देती रहती थी।

उन्होने यह भी कथन किया कि कुछ समय पूर्व निगरानीकर्ता, उपरोक्त वर्णित अपने आवासीय मकान की सारसंभाल के लिए अपनी पुत्री के साथ ग्राम झाडोल गयी तो अप्रार्थी संख्या 1 ने मकान में घुसने नहीं दिया, लड़ाई झगड़ा करने लगा तथा कमरे का ताला तोड़कर उनके समान को खुर्दबुर्द कर दिया। निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को मकान खाली करने के लिए कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने सूचित किया कि वही मकान का मालिक है एवं ग्राम पंचायत द्वारा उसके पक्ष में मकान का पट्टा जारी किया गया है।

उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा कूटरचित रूप से अवैद्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी सं 1 से 3 ने लगभग 32 वर्षो से मकान पर कब्जा होने के आधार पर नियम 157 के तहत विनियमितीकरण किये जाने तथा पट्टा बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु ग्राम पंचायत में 32 वर्षो से कब्जा होने के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व यह दस्तावेज भी प्राप्त नहीं किये कि मकान अप्रार्थीगण द्वारा बनाया गया था या खरीदा गया था तथा मकान कब बनाया या खरीदा गया था। विवादित मकान के पड़ौसियो ने उक्त मकान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का पुश्तैनी मकान होना अवगत कराया है परन्तु सभी ने उक्त मकान में अप्रार्थीगण के निवास की अवधि अलग अलग बतायी है जिससे कि पड़ौसिंयों के बयान संदिग्ध प्रतीत होते है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 से 6 ने पट्टा जारी करने की कार्यवाही किये जाने से पूर्व निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस नहीं दिये। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होने विवादित मकान, स्वयं का मालिकाना होना बताते हुए ग्राम पंचायत मण्डावरिया द्वारा अविधिक रूप से जारी पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने लिखित प्रत्युत्तर एवं बहस में कथन किया कि यह निगरानी, ग्राम पंचायत मण्डावरिया जारी पट्टा संख्या 76 दिनांक 06.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जबकि दिनांक 06.10.2010 को ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्ट

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

जारी नहीं किया गया। आक्षेपित पट्टा संख्या 76, दिनांक 06.12.2010 को जारी किया गया है, इस आधार पर उक्त निगरानी विचारणीय नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा जारी होने के लगभग 10 वर्ष बाद उक्त निगरानी प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत करने का कोई कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रकरण में विवादित पट्टा से सम्बन्धित, अप्रार्थी संख्याा 1 से 3 की स्वाामित्व की है तथा उसका नियमन कराया गया है। निगरानीकर्ता ने उक्त मकान पर स्वयं का मालिकाना हक बताकर पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है। पचांयतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत सम्पत्ति के स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिये निगरानी निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि बिजली का कनेक्शन श्री गोपाल के नाम से है, बिजली विभाग द्वारा स्वामित्व की पुष्टि होने के के बाद ही कनेक्शन जारी किया जाता है। उन्होने यह भी कथन किया कि विवादित मकान के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए निगरानीकर्ता ने एक वाद सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री दातार सिंह के अन्य वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया। उन्होने यह भी कथन किया कि स्व. श्री दातार सिंह ने ग्राम झाडोल के खसरा नम्बर 203, 215 का पूर्ण रकबा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को तथा खसरा नम्बर 204, 507, 508 का 1/2 भाग, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.04.1997 को विक्रय कर दिया था। ग्राम पंचायत द्वारा जिस मकान का पट्टा दिया गया, वह मकान अप्रार्थीगण द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 22.04.1997 से क्रय की गयी आराजी में ही स्थित है तथा निगरानीकर्ता के पति द्वारा उक्त बेचान कर दिये जाने के बाद ग्राम झाडोल में उनके स्वामित्व की कोई भूमि नहीं रही है। उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व गवाहों के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उक्त मकान पर 20 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे है। उन्होने यह भी कथन किया कि पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रथम अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति अंराई के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु इसके स्थान पर सीधे ही न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उन्होने यह भी कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा चाहा जा रहा अनुतोष, सिविल न्यायालय मे नियमित वाद प्रस्तुत कर ही प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मण्डावरिया पंचायत समिति अंराई ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 श्री गोपाल, श्री श्योजी, श्री रोडू के पक्ष में ग्राम झाडोल की आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा संख्या 76 दिनांक 06.12.2010 (ग्राम झाड़ोल की आबादी भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 3.8428है0 में स्थित) जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा, उक्त भूखण्ड पर स्थित आवासीय मकान के नियमितीकरण के लिए जारी किया गया। निगरानीकर्ता का कथन है कि विवदित मकान, उनके पति श्री दातार सिंह की सम्पत्ति है जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं का कब्जा होना बताते हुए ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पट्टा प्राप्त कर लिया है। परन्तु निगरानीकर्ता ने इस आशय का कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित मकान पर स्व. श्री दातार सिंह का मालिकाना हक था या यह मकान उन्होने सार संभाल के लिए अप्रार्थी सं 1 को दिया था या इस मकान में से एक कमरा उन्होने अप्रार्थी संख्या 1 को किराये पर दिया था। तहसीलदार अंराई द्वारा प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

उक्त मकान में श्री गोपाल, श्री श्योजीराम व श्री रोडूराम, कई वर्षों से परिवार सहित निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री गोपाल ने साक्ष्य हेतु पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.04.1997 की प्रति भी प्रस्तुत की है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता श्रीमती मानकंवर ने एक फौजदारी परिवाद संख्या 546/2017, न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) किशनगढ़ उनवान श्रीमती मानकंवर बनाम श्री गोपाल व अन्य प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट में अनुसंधान अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि श्री दातार सिंह ने जरिये विक्रयपत्र अपना मकान व जमीन अप्रार्थी श्री गोपाल को बेचान कर दी थी। जमीन की रजिस्ट्री दिनांक 22.04.1997 को की गयी। मकान के दस्तावेज नहीं होने के कारण, मकान का कब्जा पूरे परिवार के सामने अप्रार्थी श्री गोपाल को संभलवा दिया गया। श्री गोपाल उसी मकान में रह रहा है तथा मकान व जमीन बेचने के बाद श्री दातार सिंह अपने परिवार सहित अजमेर में रहने लग गये। अन्तिम रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि परिवादिया श्रीमती मानकंवर द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्य यथा श्री गोपाल को मकान मरम्मत व बिजली के बिल के लिए पैसा देना, मकान में से एक कमरा रहने के लिए देना व उनके सामान को खुर्दबुर्द करने बाबत तथ्य जाँच में प्रमाणित नहीं हुए है। परिवादिया के अन्य रिश्तेदार अभी भी ग्राम झाडोल में ही निवास करते हे, उनके द्वारा भी इस कथन की पुष्टि नहीं की गयी है कि श्री गोपाल, परिवादिया श्रीमती मानकंवर के मकान में जबरन रह रहा है। जाँच अधिकारी ने न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट में टिप्पणी अंकित की है परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद झूठा पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि पट्टा सं 76 दिनांक 06.12.2010 से सम्बन्धित मकान पर उनकाया उनके पति स्व. श्री दातार सिंह का मालिकाना हक है या उनकी पुश्तैनी सम्पत्ति है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकार श्रीमती मानकंवर द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी याचिका को निरस्त किया जाकर, ग्राम पंचायत मण्डावरिया पंचायत समिति अंराई द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 श्री गोपाल, श्री श्योजी, श्री रोडू के पक्ष में ग्राम झाडोल की आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा संख्या 76 दिनांक 06.12.2010 (ग्राम झाडोल की आबादी भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 3.8428है0 में स्थित) को यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर ★ अजमेर ★

(ज्योति ककवानी)
अपर जिला कलक्टर
अजमेर